फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

श्री संजय कुमार, पिता–स्व0 रामाश्रय प्रसाद यादव, सा0–साईं निवास, निकट अब्बू प्लाजा, एन0आई0टी0 मोड़, अशोक राजपथ, बारी रोड, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–617/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/ सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1052/गो0, दिनांक–17.07.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पीरबहोर की अनुशंसा के आलोक में आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन को अग्रसारित कर मूल आवेदन के साथ संलग्न कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, पीरबहोर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक Principal Director of Audit, East Central Railway, G.M. Office Complex, Hajipur, Patna, Bihar हैं। तदोपरान्त थानाध्यक्ष के द्वारा आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। आवेदक के द्वारा दिनांक–03.01.2014 को आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया है कि पूर्व में वे Principal Director of Audit, East Central Railway, Hajipur के पद पर पदस्थापित थे लेकिन सम्प्रति वे महालेखाकार, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। साथ ही उनके द्वारा उक्त आवेदन के माध्यम से ही अपना वर्तमान पता–A-3/15, ऑफिसर्स फ्लैट, राजवंशी नगर, बेली रोड, पो0+थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना भी संसूचित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के क्रम में जान–माल की सुरक्षा हेतु एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन के आलोक में

सम्यक विचारोपरान्त **श्री संजय कुमार**, पिता–स्व0 रामाश्रय प्रसाद यादव, सा0–A-3/15, ऑफिसर्स फ्लैट, राजवंशी नगर, बेली रोड, पो0+थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

17/06/19

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

17/06/19

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।